न्यायालय संभागीय आयुक्त, बीकानेर संभाग, बीकानेर
पीठासीन अधिकारी श्री हनुमान सहाय मीना, आई.ए.एस.

अपील संख्या : 18/2017 शस्त्र अधिनियम्

अनवानी :— जय प्रकाश पुत्र श्री भीमसेन जाति जाट निवासी गांव मिर्जेवाला तहसील व जिला श्रीगंगानगर।

—— अपीलान्ट

— बनाम —

स्टेट ऑफ राजस्थान।

—— रेस्पोडेन्ट

उपस्थित :— श्री ज्ञानसिंह बिश्नोई — अभिभाषक अपीलांट

श्री चतुर्भुज — सहायक लोक अभियोजक, राज्य पक्ष की ओर से।

निर्णय

दिनांक : 24.10.2018

1. यह अपील शस्त्र अधिनियम, 1959 की धारा 18 के अन्तर्गत जिला कलक्टर एवं जिला मजिस्ट्रेट, श्रीगंगानगर के आदेश दिनांक 18.07.2017, जिसमें अपीलांट द्वारा प्रस्तुत शस्त्र अनुज्ञा पत्र प्राप्त करने का आवेदन पत्र निरस्त किया गया, के विरूद्ध यह अपील प्रस्तुत की गई है।
2. अपील में संक्षिप्त तथ्य इस प्रकार है कि अपीलान्ट ने अपने वृद्ध दादा श्री देवीलाल पुत्र मूलचन्द के नाम के शस्त्र अनुज्ञा पत्र सं. 2246/56 डीएम श्रीगंगानगर पर दर्ज शस्त्र 12 बोर डीबीबीएल गन नं. 125868 को प्राप्त करने के उद्देश्य से जिला मजिस्ट्रेट, श्रीगंगानगर के समक्ष शस्त्र अनुज्ञा पत्र लेने बाबत आवेदन पत्र प्रस्तुत किया। इस पर जिला पुलिस अधीक्षक, श्रीगंगानगर, से रिपोर्ट ली गई। जिला पुलिस अधीक्षक, श्रीगंगानगर ने अपनी रिपोर्ट क्रमांक 1544 दिनांक 25.4.17 को प्रेषित की है, जिसमें अपीलांट के प्रशिक्षण संबंधी प्रमाण पत्र नहीं होना अंकित किया है। अधिनस्थ न्यायालय ने जरिये पत्रांक 5938 दिनांक 18.7.17 से अपीलांट को उसके द्वारा प्रस्तुत आवेदन पत्र आर्म्स रूल्स 2016 के नियम 10 व 12 के समस्त उपनियमों की पूर्ति नहीं करने के कारण निरस्त कर दिये जाने की सूचना दी, जिससे व्यथित होकर यह अपील प्रस्तुत हुई है।

संभागीय आयुक्त
बीकानेर

3. प्रकरण में अधीनस्थ न्यायालय का रिकॉर्ड तलब किया गया। विद्वान अभिभाषक अपीलान्ट एवं राज्य पक्ष की ओर से उपस्थित सहायक लोक अभियोजक की बहस सुनी गयी । अपील अपीलांट मियाद बाहर प्रस्तुत की गई थी । अभिभाषक अपीलांट ने बहस में अवगत कराया अपीलाधीन आदेश की जानकारी अपीलांट को विलम्ब से प्राप्त हुई है, जिसके समर्थन में मियाद अधिनियम की धारा 5 के तहत प्रार्थना पत्र मय शपथ पत्र प्रस्तुत किया। प्रार्थना पत्र व शपथ पत्र में उल्लेखित तथ्यों के मध्यनजर अपील अपीलांट वास्ते समाअत अदालतवाला अन्दर मियाद स्वीकार की जाती है।

4. विद्वान अभिभाषक अपीलान्ट श्री ज्ञानसिंह बिश्नोई का वरवक्त बहस मुख्य है कि जिला पुलिस अधीक्षक, श्रीगंगानगर से प्राप्त जांच रिपोर्ट में अपीलार्थी के विरूद्ध कोई आपराधिक प्रकरण दर्ज होना नहीं पाया गया है। अपीलार्थी हिस्ट्रीशीटर भी नहीं है। रिपोर्ट में केवल आवेदन के साथ प्रशिक्षण प्रमाण पत्र संलग्न नहीं किये जाने का उल्लेख किया गया है। अधिनस्थ न्यायालय द्वारा अपीलांट का आवेदन पत्र इस आधार पर निरस्त किया है कि उसने नियम 2016 के नियम 10 व 12 के समस्त उपनियमों की पूर्ति नहीं की है, जबकि शस्त्र नियम 2016 के नियम 11 में यह बताया गया है कि शस्त्र अनुज्ञा पत्र के लिये आवेदन इस तरह से किया जायेगा, नियम 11 के उपनियम 4 में यह बताया गया है कि शस्त्र अनुज्ञा पत्र के आवेदन पत्र के साथ कौन–कौन से दस्तावेज प्रस्तुत किये जाने आवश्यक है। नियम 11 में प्रशिक्षण प्रमाण पत्र संलग्न किये जाने के बारे में नहीं बताया गया है और ना ही प्रशिक्षण प्रमाण पत्र का परफॉर्मा अभी लागू किया गया है। अपीलार्थी ने शस्त्र अनुज्ञा पत्र हेतु आवेदन स्वंय की सुरक्षा हेतु किया था। अपीलांट को सुनवाई व साक्ष्य आदि प्रस्तुत करने का समुचित अवसर नहीं दिया है। अधिनस्थ न्यायालय का निर्णय शस्त्र नियम 2016 के विपरीत होने के कारण निरस्त किये जाने योग्य बताते हुए अपील अपीलांट स्वीकार करने का निवेदन किया है।

5. विद्वान सहायक लोक अभियोग श्री चतुर्भुज ने राज्य पक्ष की ओर से बहस करते हुए कथन किया कि अपीलांट ने अपने वृद्ध दादाजी के शस्त्र अनुज्ञा पत्र पर दर्ज शस्त्र को अपने नाम करवाने हेतु जिला मजिस्ट्रेट, श्रीगंगानगर के समक्ष आवेदन किया है। लाईसेंस व्यक्तिगत दिया जा रहा है। शस्त्र अनुज्ञा पत्र उतराधिकार में दिये जाने की वस्तु नहीं है। अपीलांट ने शस्त्र नियम 2016 के नियम 10 व 12 के समस्त

संभागीय आयुक्त
बीकानेर

उपनियमों की पूर्ति नहीं की है। जिला पुलिस अधीक्षक, श्रीगंगानगर की रिपोर्ट के अनुसार अपीलार्थी का प्रशिक्षण प्रमाण पत्र संलग्न नहीं होना अंकित किया है। इसी आधार पर अपीलाधीन आदेश पारित किया गया है जो उचित है। अतः अपील अपीलांट निरस्त फरमाई जावे।

6. हमने विद्वान अभिभाषकगण की बहस को मध्यनजर रखते हुए उपलब्ध अधिनस्थ न्यायालय के अभिलेख का गहनता से अध्ययन व मनन किया। विद्वान अभिभाषक अपीलांट का मुख्य कथन है कि अधिनस्थ न्यायालय द्वारा अपीलांट का आवेदन पत्र इस आधार पर निरस्त किया है कि उसने नियम 2016 के नियम 10 व 12 के समस्त उपनियमों की पूर्ति नहीं की है, जबकि शस्त्र नियम 2016 के नियम 11 में यह बताया गया है कि शस्त्र अनुज्ञा पत्र के लिये आवेदन इस तरह से किया जायेगा, नियम 11 के उपनियम 4 में यह बताया गया है कि शस्त्र अनुज्ञा पत्र के आवेदन पत्र के साथ कौन–कौन से दस्तावेज प्रस्तुत किये जाने आवश्यक है। नियम 11 में प्रशिक्षण प्रमाण पत्र संलग्न किये जाने के बारे में नहीं बताया गया है और ना ही प्रशिक्षण प्रमाण पत्र का परफॉर्मा अभी लागू किया गया है। पत्रावली पर उपलब्ध जिला पुलिस अधीक्षक, श्रीगंगानगर की रिपोर्ट के अवलोकन करने पर अपीलांट के विरूद्ध किसी प्रकार का आपराधिक प्रकरण दर्ज नहीं होना पाया गया है। जहॉ तक शस्त्र नियम 2016 के नियम 10 व 12 की पूर्ति नहीं किये जाने का प्रश्न है, तो इसके लिये अपीलांट को उक्त नियमों की पूर्ति एवं वांछित साक्ष्य आदि प्रस्तुत करने हेतु जरिये नोटिस तलब किया जाना चाहिऐ था परन्तु अधिनस्थ न्यायालय ने ऐसा कोई नोटिस जारी नहीं किया है। अधिनस्थ न्यायालय का अपीलाधीन आदेश साधारण ऑर्डर शीट पर ही जारी किये जाकर अपीलार्थी को जरिये पत्र सूचित किया गया है, जो विधिक प्रक्रिया को अपनाये बगैर जारी किये गये हैं और यह आदेश स्पीकिंग ऑर्डर की श्रेणी में नहीं आते हैं।

7. विद्वान सहायक लोक अभियोजक ने भी अपने कथन में अधिनस्थ न्यायालय द्वारा पारित आदेश को उचित बताते हुए अपीलार्थी द्वारा शस्त्र नियमों की पूर्ति नहीं करने और प्रशिक्षण प्रमाण पत्र संलग्न नहीं करने को गंभीर त्रूटि बताया है, जबकि उक्त पूर्ति एवं वांछित दस्तावेजात अपीलाधीन आदेश पारित करने से पूर्व अपीलांट से तलब किये जाने चाहिऐ थे, जो तलब नहीं किये गये हैं। इससे स्पष्ट है कि प्रकरण में अपीलार्थी को सुनवाई व साक्ष्य आदि प्रस्तुत करने का समुचित अवसर नहीं दिया गया है।

संभागीय आयुक्त
बीकानेर

8. अतः अपील अपीलांट आंशिक स्वीकार करते हुए अधिनस्थ न्यायालय जिला कलक्टर एवं जिला मजिस्ट्रेट, श्रीगंगानगर का अपीलाधीन आदेश दिनांक 18.07.2017 निरस्त कर प्रकरण जिला कलक्टर एवं जिला मजिस्ट्रेट, श्रीगंगानगर को इस निर्देश के साथ प्रतिप्रेषित (रिमाण्ड) किया जाता है कि अपीलांट को सुनवाई व साक्ष्य आदि प्रस्तुत करने का समुचित अवसर प्रदान करते हुए नये शस्त्र नियम 2016 के अन्तर्गत पुलिस रिपोर्ट प्राप्त की जाकर अपीलान्ट द्वारा वृध्द प्रकरण के अन्तर्गत प्रस्तुत आवेदन पत्र पर पुनः विधि सम्मत आदेश पारित करें।
9. तद्अनुसार अपील अपीलान्ट निर्णीत शुमार होकर नम्बर से कम हो तथा बाद तकमील दाखिल दफ्तर हो । आदेश आज दिनांक 24.10.2018 को खुले न्यायालय में सुनाया गया।

(हनुमान सहाय मीना)
संभागीय आयुक्त
बीकानेर